प्रश्न सं. [क्र. 1005]

[12/3/2025]

परिशिष्ट 'अ'
विधानसभा बजट सत्र 2025
तारांकित प्रश्न कमांक–1005
द्वारा माननीय विधायक– डॉ. हिरालाल अलावा

क.	थाना / जिला	अपराध कमांक धारा	कायमी दिनॉक	नाम आरोपी	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मनावर धार	0637 / 2024 191(2),191(3), 190,326(g), 324(5),324(6), 331(6),333, 110 भारतीय न्याय संहिता	23 / 07 / 2024 के 22:51 बजे	(1) मेहताब फौजी निवासी ग्राम बोरझिरी मनावर, (2) कैलाश राणा निवासी सरसगसंव थाना धरमपुरी, (3) राकेश मेहरा संरपंच ग्राम जलखां मनावर, (4) राहुल चौहान निवासी ग्राम बागसुल, (5) रोहित भिलाला निवासी मनावर, (6) सुखदेव सोलंकी निवासी ग्राम टेमरिया, (7) गजेन्द्र भंवर निवासी अंजनबयडा पेटलावद, (8) अंबाराम पिता हरेसिंह डावर निवासी ग्राम मुहाली, (9) राकेश निवासी निगरनी, (10) मुकेश ठाकुर ग्राम झिर्वी, (11) धर्मेन्द्र पिता कैलाश भवेल निवासी पेटलावद, (12) कैलाश पिता बोंदरिया निवासी पेटलावद,(13) राकेश पिता नानजी भवेल निवासी पेटलावद, (14) निलेश पिता नानजी भवेल निवासी पेटलावद, (15) चंपालाल पिता राधेश्याम भवेल निवासी पेटलावद, (16) गणेश जर्मन निवासी मनावर, (17) अन्य 100–150	दिनांक 22 / 07 / 2023 को एम प्लस एनर्जी सोल्युशन प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के सोलर प्लांट में कार्यरत कर्मचारी की करंट लगने के उपरांत मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात प्रकरण के आरोपी हाथ में लाठी, डण्डा, फलिया व पत्थर लेकर अल्ट्राटेक कंपनी के मुख्य द्वार को तोडकर फैक्ट्री में घुस गये और फैक्ट्री में तोड फोड मचाई जिससे कंपनी के मशीनरी, लाईट सिस्टम, कुर्सी–टेबल, अलमारियॉ, फोटोकापी मशीन, कम्प्यूटर चार पहिया, दो पहिया वाहन व केन को क्षति पहुची। फैक्ट्री में आग लगा दी जो कंपनी द्वारा बायलर एवं क्लिन में आग पहुंचने से पहले बुझा दी गई अन्यथा बड़ा विस्फोट होने की संभावना थी, जिससे आस–पास के लोगों की मृत्यु होना संभावित थी। फेक्ट्री के कर्मचारियो से मारपीट भी की, जिससे कि कंपनी को करोड़ों रूपयों का नुकसान कारित हुआ।

नोट– प्रकरण की विवेचना जारी है, अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदाय करना विधि सम्मत नहीं होगा।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'ब'
विधानसभा बजट सत्र 2025
तारांकित प्रश्न कमांक–1005
द्वारा माननीय विधायक– डॉ. हिरालाल अलावा

पेसा नियम 2022 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध करने से पूर्व ग्रामसभा से विचार–विमर्श करने का प्रावधान नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अर्न्तगत पंजीबद्ध की जाती है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1).
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'स'
विधानसभा बजट सत्र 2025
तारांकित प्रश्न क्रमांक–1005
द्वारा माननीय विधायक– डॉ. हिरालाल अलावा

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में रासुका लगाये जाने से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है–

"राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है, उसे ऐसे किसी भी हानिकारक कार्य करने से रोकने की दृष्टि से जो कि लोक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक हो या समाज के लिये आवश्यक सेवा और पूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने के लिये हानिकारक कार्य कर रहा हो ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध किये जाने हेतु निर्देशित करेगा।"

कुल 03 व्यक्तियों पर रासुका लगाया गया। रासुका की अवधि समाप्त होने पर रासुका से मुक्त हो चुके है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
वल्लभ भवन, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner